विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

''उत्कृष्टता के लिए सम्भाव्यता वाले कॉलेज (सीपीई)'' योजना के लिए 11वीं योजना के दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली – 110 002

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
''उत्कृष्टता के लिए सम्भाव्यता वाले कॉलेज (सीपीई)'' योजना
के लिए 11वीं योजना के दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

नौवीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) ने 'उत्कृष्टता के लिए सम्भाव्यता वाले कालेज' नामक एक योजना आरंभ की ताकि चयनित विश्वविद्यालयों को योजना के तहत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करवा कर उन्हें उनके संबंधित क्षेत्रों में विश्वस्तरीय मानकों को हासिल करने हेतु प्रेरित किया जाए। इससे नौवीं और दसवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालयों को बेहतर उपलब्धियां हासिल करने में मदद मिली है।

विश्वविद्यालयों के अलावा देश में ऐसे कॉलेज हैं जिनमें पूर्वस्नातक शिक्षण की गुणवत्ता अच्छी है। इनमें से अनेक कॉलेजों ने शिक्षण में बेहतर स्तर प्राप्त करने के लिए नवाचारी ढंग से अपनी 'स्वायत्तता' का प्रयोग किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे कॉलेजों का पता लगाना चाहता है और उन्हें 'उत्कृष्टता के लिए सम्भाव्यता वाले कॉलेज' का दर्जा देना चाहता है तथा शिक्षण में उससे भी उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए उनको पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना चाहता है। इसके अतिरिक्त, कॉलेज स्नातकोत्तर शिक्षा भी प्रदान करते हैं। इस महत्वपूर्ण सेक्टर पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उनकी आधार–संरचना सुधारने और सुदृढ़ करने के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों वाले कॉलेजों को निधियां उपलब्ध करायेगा।

2. उत्कृष्टता

उत्कृष्टता का अर्थ किसी कार्य क्षेत्र में विशिष्टता या असामान्य उपलब्धि हासिल करने से है। किसी अकादमिक संस्थान की उत्कृष्टता में शिक्षण, अनुसंधान तथा संबंधित अकादमिक उद्देश्य हेतु निष्पादन में उत्कृष्ट स्तर प्राप्त करना है तथा अध्ययन और अनुसंधान हेतु चयनित क्षेत्रों में शीर्षतम मुकाम हासिल करना है। उत्कृष्टता को चरणबद्ध तरीके से उद्देश्यों की गुणवत्ता के माध्यम से सतत सुधार के

द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रतिबद्ध अकादमिक समुदाय तथा पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं उत्कृष्टता के महत्वपूर्ण घटक हैं। सामान्यतः इस प्रकार की संभावना वाले संस्थान अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर सकें इसके लिए उनकी योग्यता को पहचानने की जरूरत होती है।

3. उद्देश्य

3.1 चुने हुए अकादमिक कार्यक्रमों के डिजाईन, विकास तथा सुपुदर्गी में शामिल प्रक्रियाओं को परिभाषित करना तथा प्रबंधन करना।

3.2 शिक्षण, अनुसंधान तथा विस्तार (आउटरीच) कार्यक्रमों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अकादमिक तथा भौतिक आधार–संरचना को सुदृढ़ करना।

3.3 लचीले तथा प्रभावी शासन को प्रोत्साहित करना।

3.4 लचीली क्रेडिट–आधारित माडयूलर प्रणाली और वर्तमान में पूरे विश्व में समस्त नवाचारों की सहायता से पूर्वस्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता को बढ़ाना।

3.5 सामान्यतः राष्ट्र तथा विशिष्ट रूप से क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक जरूरतों के संगत अकादमिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।

3.6 स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को 'इन्टरफेस' करते हुए कॉलेजों में पूर्वस्नातक अकादमिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।

3.7 देश में केन्द्रों/विभागों, अनुसंधान केन्द्रों तथा प्रयोगशालाओं के साथ नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करना।

3.8 कौशलप्रधान कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।

4. लक्ष्य–समूह

इस स्कीम का लक्ष्य उत्कृष्टता की क्षमता वाले संस्थान हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत कवर किए गए कुल कालेजों की संख्या का 3% होगी। यदि किसी भी

स0रा0क्षे0 में इस प्रकार के 3% कालेजों की संख्या एक से कम होती है तो उस स0रा0क्षे0 में कम से कम एक कालेज को सीपीई दर्जा दिया जाएगा, बशर्ते उस स0रा0क्षे0 में धारा 2(च) और 12(ख) के तहत कम से कम 2 कालेज कवर होते हैं। कारक जैसे भौगोलिक क्षेत्र, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों, महिला कालेजों तथा अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 (सम्पन्न वर्ग को छोड़कर) छात्रों की बहुलता वाले कालेजों को उचित महत्व दिया जाएगा।

वि0अ0आ0 ने पहले चरण में 2004–05 (47) के दौरान सीपीई योजना के तहत 97 कालेजों का वित्त पोषण किया तथा दूसरे चरण में 2006–07 (50)। निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान (सीपीई योजना के तहत) 100 नए कालेजों का चयन करने का प्रस्ताव है।

5. पात्रता/पूर्वापेक्षाएं

5.1 कॉलेज 10 या अधिक वर्ष पुराने होने चाहिए।

5.2 कालेज को सहायता प्राप्त सरकारी कालेज या उसका एक घटक होना चाहिए।

5.3 इस कालेज को 'नाक' द्वारा न्यूनतम तीन सितारा/या 'ख' ग्रेड या 2.01 ग्रेड प्वाईट एवरेज या 2.01 प्रत्यायित होना चाहिए तथा यह वैध अवधि के भीतर होना चाहिए। वैध अवधि समाप्त हो जाने पर, कालेज को पुनः प्रत्यायन के लिए आवेदन करना चाहिए।

5.4 प्रत्येक कॉलेज को निम्नलिखित की एक प्रति संलग्न करनी होगी :

(क) विहित प्ररूप में 'सीपीई योजना के तहत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता प्रस्ताव' शीर्षक होना चाहिए। जिसे अनुलग्नक–I में दिया गया है।

(ख) 'नाक' द्वारा किये गये मूल्यांकन की रिपोर्ट तथा

(ग) कोई भी अतिरिक्त डाटा जिसे कालेज भेजना पसन्द करे।

5.5 प्रत्यायित कालेजों में तरजीह स्वायत्त कालेजों को दी जाएगी।

5.6 यदि कालेज एक 'कम्पोजिट कालेज' है तो इसे कालेज से +2 पाठ्यक्रम को हटाने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। सीपीई योजना के तहत शामिल किए जाने वाली अंतिम सिफारिशों के आधार पर इसे लिखित में यह पुष्टि करनी होगी कि पाठ्यक्रम को हटा दिया गया है।

5.7 इस योजना के अधीन कालेजों की सहायता करने के मानदण्ड इस प्रकार हैं :–

(क) दाखिले में पारदर्शिता।

(ख) सतत् अकादमिक सुधार।

(ग) पाठ्यक्रम में नवोन्मेष को आरंभ करना।

(घ) प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना।

(ड.) कालेज पुस्तकालय में सुधार।

(च) कालेज के अकादमिक और प्रशासनिक क्रियाकलापों के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी और मौजूदा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।

(छ) छात्रों का निष्पादन।

(ज) छात्रों द्वारा सहायता और शासन।

(झ) छात्रों द्वारा खेल–कूदों तथा अन्य सह छात्र गतिविधियों और पाठ्येत्तर गतिविधियों में भाग लेना।

(ट) शिक्षकों का पुनः प्रशिक्षण।

(ठ) अनुशिक्षण तंत्र में सुधार।

(ड) परीक्षा प्रणाली में सुधार।

(ढ) अनुसंधान निष्कर्ष।

(ण) निर्धन छात्रों की सहायता करना।

(त) सामुदायिक मामलों में भाग लेना।

(थ) पर्यावरण के विषय में चिन्ता तथा इसका प्रमाण।

(द) व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा कौशलप्रधान कार्यक्रम।

(ध) अन्य अतिरिक्त संगत सूचना।

5.8 कालेज को यह स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा कि यदि अवधि के अंत में इसे सीपीई दर्जा दिया जाता है तो सभी क्षेत्रों यह किन परिवर्तनों की आशा करता है।

5.9 कालेज को यह वचन देना होगा कि वह 3 वर्ष तक किसी शिक्षा का अंतरण नहीं करेगा। सभी तैनाती इस प्रकार की जानी चाहिए कि सभी शिक्षक अपने तैनाती के स्थान पर कम से कम 3 वर्ष व्यतीत कर सकें।

5.10 उन कालेजों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें उपरोक्त अन्य शर्तों के अलावा प्राचार्य नियमित नियुक्ति पर हों तथा उनका लंबा कार्यकाल हो। उसी कालेज में प्राचार्य का न्यूनतम स्वीकृत सेवाकाल 3 वर्ष का होगा, जिसके बिना योजना लागू करने हेतु कालेज पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.11 इस योजना के तहत कृषि, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, उपचर्या, भेषज तथा अभियांत्रिकी कालेज विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं।

6. <u>योजना की अवधि</u>

योजना ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान प्रचालनरत रहेगी।

7. योजना के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया

मूल विश्वविद्यालयों के माध्यम से कालेजों के प्राचार्यों को परिपत्र भेजकर तथा वि0अ0आ0 वेबसाइट पर घोषणा कर आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

8.0 समितियों की सरंचना

8.1 <u>सीपीई संबंधी स्थायी समिति</u> :

यह एक केन्द्रीय समिति है जो नीति और योजनाओं तथा योजना के अन्य पहलुओं पर विचार करेगी। इसमें वि0अ0आ0 के अध्यक्ष द्वारा नामित 9 निम्नलिखित सदस्य होंगे :

i.	आयोग का सदस्य–एक	–	समिति का अध्यक्ष
ii	कुलपति–दो	–	सदस्य
iii	पांच विशेषज्ञ	–	सदस्य

iv एक वि0अ0आ0 अधिकारी – सदस्य सचिव

आवश्यकता के आधार पर उपरोक्त समिति को व्यापक आधार वाला बनाया जा सकता है।

8.2 कार्य समूह

यह समूह आवेदनों की जांच करेगा तथा आवेदनकर्त्ता कालेजों को उनके प्राप्तांक के आधार पर रैंक के मुताबिक क्रम में स्थापित करेगा तथा स्थायी समिति को पहचान करने के लिए उन कालेजों की सूची प्रस्तुत करेगा जिनमें उत्कृष्टता की सम्भाव्यता है। इसमें वि0अ0आ0 द्वारा नामनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः–

i स्थायी समिति का एक सदस्य

ii एक या दो सदस्य

iii एक वि0अ0आ0 का अधिकारी

8.3 दौरा करने वाली समिति

यह समिति स्थायी समिति द्वारा अनंतिम रूप से संस्तुत प्रत्येक कालेज का दौरा करेगी। दौरा करने वाली समिति के आधार पर, कालेज को सीपीई दर्जा प्रदान के प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। समिति में वि0अ0आ0 के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :–

i दो विशेषज्ञ

ii एक वि0अ0आ0 का अधिकारी

8.4 निगरानी समिति

यह समिति इसे निगरानी के लिए दिए गऐ कालेज का 2 वर्ष बाद उनके निष्पादन की निगरानी करने तथा प्रत्येक कालेज के संबंध में वि0अ0आ0 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उनका दौरा करेगी। इसमें वि0अ0आ0 अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट निम्नलिखित 5 सदस्य शामिल होंगे :–

i चार विशेषज्ञ

ii एक वि0अ0आ0 का अधिकारी

9. वि0अ0आ0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने की प्रक्रिया

चरण 9.1 सीपीई दर्जा प्राप्त करने का इच्छुक कालेज अनुलग्नक–I में सीपीई योजना के तहत 11वीं योजना के दौरान सहायता के लिए प्रस्ताव शीर्षक से दिए गए विहित प्ररूप को भरेंगे तथा इसे उस विश्वविद्यालय को भेजेंगे जिससे यह संबंद्ध है।

चरण 9.2 विश्वविद्यालय कुलपति, कुल–सचिव/कालेज विकास परिषद् का डीन तथा राज्य के बाहर से एक विशेषज्ञ को मिलाकर एक समिति गठित करेगा जो प्रस्ताव में दिए गए आंकड़ों और सूचना की रिकार्ड से जांच करेगा और यह सत्यापित करेगा कि क्या कालेज का दावा सही है, साथ ही चयनित मानदण्डों पर अंकमान के अनुसार अंक प्रदान करेगा। जिसे बाद में वि0अ0आ0 द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति को उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे कालेज द्वारा प्राप्त कुल अंक परिकलित किए जा सकें।

चरण 9.3 विश्वविद्यालय वि0अ0आ0 के आगे के विचारार्थ कालेजों द्वारा इस प्रकार के अपेक्षित प्रस्तावों की सिफारिश तथा उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विचारार्थ करने के लिए अग्रेषित करेगा।

चरण 9.4 कार्य समूह विश्वविद्यालयों द्वारा इस प्रकार के आवेदनों की छानबीन करेगा, प्राप्तांक के आधार पर उन्हें मिले रैंक के मुताबिक आवेदनकर्त्ता कालेजों को क्रमबद्ध कर राज्य/स0रा0क्षे0–वार सूची तैयार करेगा तथा स्थायी समिति को उन कालेजों की पहचान करने के लिए सूची प्रस्तुत करेगा जिनमें उत्कृष्टता की संभावना है।

चरण 9.5 स्थायी समिति अनंतिम रूप से कालेजों की पहचान करेगा जिनमें उत्कृष्टता की संभावना है और वि0अ0आ0 अनंतिम सिफारिश के बारे में संबंधित कालेजों को सूचित करेगा।

चरण 9.6 वि0अ0आ0 से अनंतिम सिफारिश के संबंध में सूचना की प्राप्ति पर कालेज अनुलग्नक–II में दिए गऐ विहित प्ररूप में एक कार्य योजना और बजट तैयार करेगा जिसे प्रत्याशित XIवीं योजना अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। कार्य

योजना को स्टॉफ और प्रबंधन के परामर्श से तैयार किया जाएगा। इसमें कालेज की पसंद में मानदण्ड के संबंध में विशिष्ट लक्ष्यों का ब्यौरा दिया जाएगा जिसमें सीपीई दर्जे की अवधि के दौरान कालेज को उत्कृष्टता हासिल करने की आशा हो तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की आशातीत अंतिम तिथियों की प्राथमिकता की सूची भी दर्शायी गई हो।

बजट में विभिन्न मदों पर किये जाने वाले व्यय को दर्शाया जाएगा। साथ ही कालेज की योजनाओं को दर्शाया जाएगा कि किस प्रकार वि0अ0आ0 द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का उपयोग किया जाएगा। विशेषरूप से उच्च दर्जे वाले विभाग जैसे वे विभाग जो अत्यंत प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहे हैं तथा जिनका उत्कृष्ट अकादमिक निष्पादन रहा है तथा वे विभाग जिनका उच्च गुणवत्ता का अनुसंधान परिणाम रहा है तथा विभाग जिन्हें सैप के तहत वि0अ0आ0 से सहायता प्राप्त हुई है, उन्हें उन्नयन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें से प्रत्येक मद के लिए आवंटन का विस्तार से औचित्य सिद्ध किया जाना चाहिए।

वि0अ0आ0 द्वारा अनंतिम संस्तुति के बारे में सूचना की प्राप्ति के एक माह के भीतर कार्ययोजना और बजट को तैयार किया जाएगा तथा वि0अ0आ0 के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

चरण 9.7 दौरा करने वाली समिति, कार्ययोजना तथा कालेज के बजट पर चर्चा करने तथा अंतिम रूप देने के लिए अनंतिम रूप से संस्तुत प्रत्येक कालेज का दौरा करेगी तथा स्थायी समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

चरण 9.8 स्थायी समिति दौरा करने वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम चयन करेगी तथा इसे वि0अ0आ0 के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।

10. वित्तीय सहायता का स्वरूप

10.1 प्रत्येक कालेज के लिए 11वीं योजना अवधि के लिए अनुदान राशि निम्नलिखित रूप से 100.00 लाख रुपये से 150.00 लाख रुपये तक हो सकती है :

प्रत्यायित बशर्ते गैर–स्वायत्त कालेज न हो– के लिए रुपये 100.00 लाख रुपये तक ।

प्रत्यायित और स्वायत्त कालेजों के लिए–150.00 लाख रुपये तक।

यदि कालेज को इस अवधि के दौरान स्वायत्त दर्जा प्राप्त हो जाता है तो जिस वर्ष में कालेज को स्वायत्त दर्जा प्राप्त होता है। उसके आधार पर यथा–अनुपाततः आधार पर अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकता है।

10.2 अनावर्ती अनुदान कुल आवंटन का 60% तथा आवर्ती अनुदान का 40% हो सकता है।

10.3 योजना के तहत वित्तीय सहायता विभागों के उन्नयन के लिए है ताकि उत्कृष्टता की दिशा में उनका और विकास किया जा सके और उसे भवन निर्माण के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

10.4 50% अनुदानों को उच्च क्षमता दर्जा प्राप्त विभागों के विकास के लिए खर्च किया जा सकता है चूंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने में अपनी सक्षमता को सिद्ध किया है। शेष 50% को कालेजों के अन्य विभागों और सुविधाओं के विकास पर व्यय किया जा सकता है।

10.5 केवल सहायता प्राप्त विभागों पर वित्तीय सहायता को खर्च किया जा सकता है।

11. वि0अ0आ0 द्वारा अनुदान जारी किया जाना

कालेज जिन्हें सीपीई दर्जा प्रदान किया गया है उन्हें आरंभ में कुल अनुदान का 50% भुगतान किया जाएगा। शेष 50% को निगरानी समिति द्वारा संतोषजनक मूल्यांकन के आधार पर जारी किया जाएगा।

वि0अ0आ0 और कालेजों के बीच नियतनों के लिए एक बार सहमति हो जाने पर कुल नियतन के 5% तक पुनर्विनियोजन अनुमेय है। लेकिन उससे अधिक वे समायोजन को स्थायी समिति के लिए भेजा जायेगा।

12.0 योजना की प्रगति की निगरानी करने के लिए प्रक्रिया

प्रत्येक सीपीई कालेज अपने निष्पादन की एक वार्षिक रिपोर्ट विहित प्ररूप में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में प्रस्तुत करेगा जिसे अनुलग्नक–III में दिया गया है।

चिन्हित कालेजों के विकास की निगरानी करने के लिए अपेक्षित संख्या में निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा।

निगरानी समिति उन्हें दिए गए कालेजों के निष्पादन की समीक्षा दो वर्षों के अंत में करेगी और उनमें से प्रत्येक के लिए वि0अ0आ0 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

13.0 रद्द करना/वापस लेना

13.1 आवधिक समीक्षा के परिणामस्वरूप यदि यह पाया जाता है कि कालेज का निष्पादन है तो अच्छा नहीं उन्हें सुधार करने के लिए छह महीने का नोटिस दिया जाएगा। यदि छह माह के नोटिस अवधि के बाद भी कालेज आशातीत स्तर तक अपना निष्पादन नहीं सुधारते हैं तो उनका सीपीई दर्जा वापस ले लिया जायेगा। ऐसी स्थिति में, या तो कालेज को स्कीम के तहत दी गई वित्तीय सहायता तथा दण्डात्मक ब्याज का प्रतिदाय करना होगा अथवा इसे अन्य योजनाओं के तहत प्रदत्त या भुगतान की जाने वाली राशि के समक्ष समायोजित किया जा सकता है।

13.2 एक बार कालेज का सीपीई दर्जा वापस लिए जाने पर, यदि कालेज अपेक्षित सीमा तक अपने निष्पादन को सुधार लेता है तो इसकी समीक्षा की जा सकती है बशर्ते कि दर्जा वापस लिए जाने से दो वर्ष तक यह दर्जा वापिस नहीं दिया जाएगा।

13.3 सीपीई दर्जे को उस स्थिति में भी वापस ले लिया जाएगा यदि कालेज द्वारा सीपीई दर्जा के दावे के संबंध में दी गई सूचना तथा आंकड़े गलत पाए जाते हैं। इस मामले में कालेज के दण्डात्मक ब्याज सहित योजना के तहत जारी संपूर्ण राशि को वि0अ0आ0 को वापस लौटाना होगा। कालेज को काली सूची में डाल दिया जाएगा तथा उसे वि0अ0आ0 की किसी भी योजना में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13.4 निधियों के दुविर्निियोजन तथा गलत उपयोग के मामले में भी सीपीई दर्जे को वापस ले लिया जाएगा। इस मामले में कालेज को न केवल योजना के तहत जारी संपूर्ण राशि को दण्डात्मक ब्याज के साथ वि0अ0आ0को लौटाना होगा बल्कि वि0अ0आ0 द्वारा की गई उपयुक्त कानूनी कार्यवाही भी झेलनी पड़ेगी तथा उसे वि0अ0आ0 की किसी भी योजना में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

14. **योजना की प्रगति की निगरानी**

वि0अ0आ0 निगरानी समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर योजना की मध्यावधि समीक्षा करेगा।

15. **पिछली योजना अवधि के सीपीई कालेजों को सहायता**

15.1 यदि कालेज अवधि के दौरान स्वायत्त दर्जा प्राप्त करता है तो इसे उस वर्ष के आधार पर जिसमें कालेज को स्वायत्त दर्जा प्राप्त हुआ है, यथा–अनुपाततः आधार पर अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकता है।

15.2 दसवीं योजना अवधि के दौरान चयनित कालेजों का विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, 11वीं योजना के दौरान उन्हें सहायता दी जाएगी। जिन कालेजों ने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं उनका सारांश मूल्यांकन किया जाएगा। केवल उन्हीं कालेजों जिन्हें XI वीं योजना के दौरान सहायता जारी रखने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की गई है, उन्हें योजना के तहत आगे सहायता दी जा सकती है। तथापि, इन मामलों में वित्त पोषण का स्तर सीपीई कालेजों के लिए XI वीं योजना में अनुमोदित आवंटन का 50% तक सीमित होगा। कालेज इस योजना के तहत अधिकतम 10 वर्ष तक वित्त पोषण के पात्र होंगे।

अनुलग्नक–I

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

ग्यारहवीं योजना के तहत 'उत्कृष्टता की सम्भाव्यता वाले कालेज' योजना के लिए सहायता प्रस्ताव

नोटः जहां कहीं भी विकल्प दिए गए हैं। कृपया जो लागू हो उस पर गोला लगा दें या निशान लगा दें। अन्य स्थानों को या तो रिक्त छोड़ा जाए या '.....' लिखा जाए उनमें वास्तविक सूचना/आंकड़े दिए जाएं।

खण्ड 1 : सामान्य

क्र.स.	प्रोफाईल/मानदण्ड	ब्यौरा
1.1	कालेज का नाम	
1.2	कालेज का पूरा पता (दूरभाष/फैक्स नं0 तथा ई–मेल सहित)	
1.3	कालेज के प्रभारी का नाम (दूरभाष/फैक्स नं0 तथा ई–मेल सहित)	
1.4	सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम और पता (दूरभाष/फैक्स नं0 तथा ई–मेल सहित)	
1.5	कालेज के अध्यक्ष शासी निकाय का नाम और पता (दूरभाष/फैक्स नं0 तथा ई–मेल सहित)	

1.6	कालेज के लक्ष्य और उद्देश्य	
1.7	कालेज के उच्च दर्जा प्राप्त विभागों के नाम	

अनुलग्नक–I (जारी)

<table>
<tr><td>क्र. सं.</td><td>प्रोफाइल / मानदण्ड</td><td colspan="12">ब्यौरा / विकल्प</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1.8</td><td rowspan="2">कालेज के प्रबंधन का स्वरूप</td><td rowspan="2">सरकारी</td><td rowspan="2">विश्वविद्यालय</td><td colspan="4">निजी</td></tr>
<tr><td>अल्पसंख्यक</td><td>गैर–अल्पसंख्यक</td><td>सहायता प्राप्त</td><td>गैर–सहायता प्राप्त</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1.9</td><td rowspan="4">कुल संख्या
• छात्रा
• शिक्षक</td><td colspan="3">स्नातक पूर्व</td><td colspan="3">स्नातकोत्तर</td><td colspan="3">कुल</td></tr>
<tr><td>महिला</td><td>पुरूष</td><td>कुल</td><td>महिला</td><td>पुरूष</td><td>कुल</td><td>महिला</td><td>पुरूष</td><td>कुल</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.10</td><td>कालेज को स्थापित हुए कितने वर्ष हुए हैं</td><td colspan="4">10 या 10 से 25 तक</td><td colspan="4">25 से 50 तक</td><td colspan="4">50 से अधिक</td></tr>
<tr><td>1.11</td><td>विश्वविद्यालय से स्थायी रूप से सम्बद्ध हुए कितने वर्ष हुए हैं</td><td colspan="4">10 या 10 से 25 तक</td><td colspan="4">25 से 50 तक</td><td colspan="4">50 से अधिक</td></tr>
<tr><td>1.12</td><td>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन मान्यता प्राप्त हुए कितने वर्ष हुए हैं।</td><td colspan="4">10 या उससे कम</td><td colspan="4">10 से 25 तक</td><td colspan="4">25 से अधिक</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>विश्वविद्यालय</td><td colspan="4">10 या उससे कम</td><td colspan="4">10 से 25 तक</td><td colspan="4">25 से अधिक</td></tr>
</table>

13	अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन मान्यता प्राप्त किए कितने वर्ष हुए हैं।					
1.14	कैम्पस क्षेत्र (एकड़ में)	5.00 या उससे कम		5 से 10 तक		10 से अधिक
1.15	कालेज में अकादमिक कार्यक्रमों के स्तर	स्नातक पूर्व स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान	केवल स्नातकोत्तर तथा स्नातक पूर्व	केवल स्नातकोत्तर	केवल स्नातक पूर्व	
1.16	अकादमिक कार्यक्रम	कुल संख्या	मानविकी संकाय में संख्या, ...	विज्ञान संकाय में संख्या, ...	वाणिज्य संकाय में संख्या	अन्य संकायों में संख्या .....
1.17	शिक्षकः संख्या	संस्वीकृत संख्या	वर्तमान संख्या	संस्वीकृत संख्या के प्रतिशत के रूप में वर्तमान संख्या		
1.18	चलाए जा रहे अंशकालिक पाठ्यक्रम छात्रों की संख्या	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	डिप्लोमा	प्रमाणपत्र		

	कालेज में कुल संख्या का प्रतिशत			
1.19	छात्रों की कुल संख्या	500 या 500 से कम	500 से अधिक और 1000 तक	1000 से अधिक

अनुलग्नक–I (जारी.....)

क्र. सं.	प्रोफाइल / मानदण्ड	ब्यौरा / विकल्प		
1. 20	छात्रों की श्रेणी	अ0जा0 / अ0ज0जा0 के कम से कम 50 प्रतिशत	अ0पि0व0 के कम से कम 50 प्रतिशत	शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के कम से कम 25 प्रतिशत
1. 21	छात्रों की कुल संख्या में स्नातकपूर्व छात्रों का प्रतिशत	50 या से कम	50से 80 तक	80 से अधिक
1. 22	छात्रों की कुल संख्या में स्नातकोत्तर छात्रों का प्रतिशत	50 या से कम	50से 80 तक	80 से अधिक
1. 23	छात्रों की कुल संख्या में एम0फिल0 छात्रों का प्रतिशत	02 या से कम	02 से 05 तक	05 से अधिक
1. 24	छात्रों की कुल संख्या में पी0एच0डी0 छात्रों का प्रतिशत	0.1 या से कम	0.1 से 0.2 तक	0.2 से अधिक
1. 25	दसवीं योजना के दौरान प्राप्त अनुदान (रूपये लाख में)	राज्य सरकार से	यू0जी0सी0 के अलावा केन्द्र सरकार से	यू0जी0सी0
1. 26	छात्र सुविधाएंः पिछले तीन वर्षों के दौरान	प्रयोगशालाएं	केन्द्रीय ग्रंथागार	विभागीय ग्रंथागार

	व्यय की गई राशि (रूपये लाख में)			
1.27	शिकायत समाधान प्रकोष्ठ: पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई	20 या 20 से कम	20 से 50 तक	50 से अधिक
1.28	मार्गदर्शन एवं सलाह प्रकोष्ठः पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों पर कार्रवाई की गई	50 या 50 से कम	50 से 75 तक	75 से अधिक
1.29	कालेज के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिप्राप्ति हेतु उपलब्ध तंत्र	शिक्षक	अंशधारक	अंशधारकों के अलावा सामान्य जनसमुदाय
1.30	कालेज में सक्रियः–	शिक्षक अभिभावक संघ है	पूर्व छात्र संघ है	गैर–सरकारी संगठनों के साथ सम्पर्क

अनुलग्नक–I (जारी.....)

भाग 2: प्रोफाईल का ब्यौरा

क्र. सं.	प्रोफाईल / मानदण्ड	ब्यौरा / विकल्प			कार्यालय उपयोग के लिए
2.1	कालेज की स्थिति	सभी पाठ्यक्रमों के लिए गैर स्वायत्त	केवल कुछ पाठ्यक्रमों के लिए स्वायत्त	स्वायत्त	
2.2	नाक द्वारा प्रत्यायन प्रदान किए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं	01 से 05	पांच से अधिक और दस तक	दस से अधिक	
2.3	नाक द्वारा दिया गया ग्रेड / जीपीए	सी से सी++ 1.51 से 2.00	बी से बी++ 2.01 से 3.00	ए से ए++ 3.01 से 4.00	
2.4	कालेज की अकादमिक श्रेणी	पुरूष	सह–शिक्षा	महिला	
2.5	कालेज की अवस्थिति	शहरी	ग्रामीण	जनजातीय	
2.6	अकादमिक कार्य की योजना	वार्षिक	सेमेस्टर	क्रेडिट आधारित	
2.7	कुल छात्रों की संख्या की तुलना में अन्य राज्यों से छात्रों का प्रतिशत	01 से 05	5 से अधिक 10 तक	दस से अधिक	
2.8	कुल छात्रों की संख्या की तुलना में अनिवासी भारतीय छात्रों का प्रतिशत	01 से 05	5 से अधिक 10 तक	दस से अधिक	
2.9	छात्रों की कुल संख्या की तुलना में विदेशी छात्रों (अनिवासी भारतीयों को छोड़कर) का प्रतिशत	01 से 03	3 से अधिक 5 तक	5 से अधिक	
2.10	पिछले 3 वर्षों के दौरान आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रमों की संख्या • डिग्री	01 से 03	3 से अधिक 6 तक	6 से अधिक	
	• स्नातकोत्तर डिप्लोमा	01 से 03	3 से अधिक 6 तक	6 से अधिक	
	• डिप्लोमा	01 से 05	5 से अधिक 10 तक	10 से अधिक	
	• प्रमाण पत्र	01 से 05	5 से अधिक 10 तक	10 से अधिक	

2.11	पिछले 3 वर्षों के दौरान आरंभ किए गए स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों की संख्या	01 से 05	5 से अधिक 10 तक	10 से अधिक	

अनुलग्नक–I (जारी.....)

क्र. सं.	प्रोफाईल / मानदण्ड	ब्यौरा / विकल्प			कार्यालय उपयोग के लिए
2. 12	छात्रों का परिणाम पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत प्रतिशतः				
	• स्नातकपूर्व	40 से 60	60 से अधिक 80 तक	80 से अधिक	
	• स्नातक पूर्व प्रथम श्रेणी	05 से 10	10 से अधिक 30 तक	30 से अधिक	
	• स्नातकोत्तर	50 से 70	70 से अधिक 90 तक	90 से अधिक	
	• स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणी	10 से 20	20 से अधिक 50 तक	50 से अधिक	
2. 13	पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परीक्षाएं पास करने वाले छात्रों की संख्या • यूजीसी–नेट	01 से 05	6 से अधिक 10 तक	10 से अधिक	
	• गेट	01 से 05	06 से अधिक 10 तक	10 से अधिक	
2. 14	पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न एजेन्सियों द्वारा परियोजना परिव्यय (रु0 लाख में)	05 से 10	10 से अधिक 50 तक	50 से अधिक	
2. 15	पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ किए गए सहयोगों की संख्या • समझौता ज्ञापन	01 से 02	02 से अधिक 05 तक	05 से अधिक	
	• शिक्षकों का आदान–प्रदान	01 से 05	05 से अधिक 10 तक	10 से अधिक	
	• फ्रेचाईजी	01 से 05	05 से अधिक 10 तक	10 से अधिक	
2. 16	शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाता है	कालेज में सहयोगी समूहों द्वारा	बाहरी	छात्रों द्वारा	
2. 17	पिछले 3 वर्षों के दौरान शिक्षकों का सम्मान : अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संख्या	01 से 02	02 से अधिक 04 तक	04 से अधिक	

	राष्ट्रीय स्तर पर	01 से 03	03 से अधिक 06 तक	06 से अधिक	

अनुलग्नक–I (जारी.....)

क्र. सं.	प्रोफाईल / मानदण्ड	ब्यौरा / विकल्प			कार्यालय उपयोग के लिए
2. 18	पिछले 3 वर्षों के दौरान संगोष्ठियों / सम्मेलनों में पत्र प्रस्तुत करने वाले शिक्षकों की संख्या ● अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर	01 से 03	03 से अधिक 06 तक	06 से अधिक	
	राष्ट्रीय स्तर पर	01 से 05	05 से अधिक 10 तक	10 से अधिक	
2. 19	राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 3 वर्षों के दौरान कालेज द्वारा आयोजित की गई अकादमिक संगोष्ठियों / सम्मेलनों की संख्या	01 से 03	03 से अधिक 06 तक	06 से अधिक	
2. 20	शारीरिक शिक्षा : किया गया प्रावधान : ● वृहद खेलों की संख्या	01 से 03	03 से अधिक 06 तक	06 से अधिक	
	● लघु खेलों की संख्या	01 से 03	03 से अधिक 06 तक	06 से अधिक	
	● भीतर खेले जाने वाले खेलों की संख्या	01 से 03	03 से अधिक 06 तक	06 से अधिक	
	● प्रत्यायित प्रशिक्षकों की संख्या	01 से 02	03 से अधिक 04 तक	04 से अधिक	
2. 21	अन्य सुविधाएं (जो उपलब्ध है उन पर गोला लगाएं) कोई अन्य (तीन तक नाम बताएं)	कम्प्यूटर केन्द्र	इंटरनेट	पुस्तक बैंक	
		छात्रावास (पुरूष)	छात्रावास (महिला)	छात्रों के लिए आरामगाह	
		जलपान गृह	स्वास्थ्य केन्द्र	प्लेसमेंट प्रकोष्ठ	
		.....	.....	.....	
2. 22	शिक्षकों की गुणवत्ता ● छात्र / शिक्षक अनुपात	60 से अधिक पर 1	40 से अधिक पर 1 से 60 पर 1	40 या इससे कम पर 1	

	• शिक्षकों में एम. फिल. डिग्री धारकों का प्रतिशत	01 से 10	10 से अधिक 50 तक	50 से अधिक	
	• शिक्षकों में पी. एच.डी. धारकों की संख्या	01 से 10	5 से अधिक 10 तक	10 से अधिक	
	• शिक्षकों का प्रतिशत जिन्होंने (पिछले 3 वर्षों के दौरान) भाग लिया क. प्रबोधन पाठ्यक्रम में	01 से 20	20 से अधिक 50 तक	50 से अधिक	
	ख. पुर्नश्चर्या पाठ्यक्रम में	01 से 20	20 से अधिक 50 तक	50 से अधिक	

अनुलग्नक–I (जारी.....)

क्र. सं.	प्रोफाईल / मानदण्ड	ब्यौरा / विकल्प			कार्यालय उपयोग के लिए
2.23	पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल्यांकन प्रक्रिया संव सुधार : ● कार्यक्रमों की संख्या जिसके लिए अकादमिक लेखापरीक्षा की गई	01 से 02	02 से अधिक 05 तक	05 से अधिक	
	● कार्यक्रम जिनके लिए सहकर्मी समीक्षा की गई	01 से 02	02 से अधिक 05 तक	05 से अधिक	
2.24	अनुसंधान संवर्धन और सहायता : ● अनुसंधान कार्य में सक्रिय रूप से लगे हुए शिक्षकों का प्रतिशत	01 से 05	05 से अधिक 20 तक	20 से अधिक	
	● अनुसंधान पर्यवेक्षक के रूप में अनुमोदित शिक्षक	01 से 05	05 से अधिक 20 तक	20 से अधिक	
	● कालेज से इतर विद्वान / अकादमिक / वैज्ञानिक निकायों से जुड़े शिक्षकों का प्रतिशत	01 से 02	02 से अधिक 05 तक	05 से अधिक	
2.25	पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुसंधान निष्कर्ष तथा प्रकाशन ● 5 से कम स्नातकोत्तर विभागों के कालेजों के लिए प्रदान की गई एम.फिल. डिग्री	01 से 10	10 से अधिक 20 तक	20 से अधिक	

	• 5 से अधिक स्नातकोत्तर विभागों के कालेजों के लिए प्रदान की गई एम.फिल. डिग्री	01 से 20	20 से अधिक 40 तक	40 से अधिक	
	• 5 से कम स्नातकोत्तर विभागों के लिए कालेजों के लिए प्रदान की गई पी.एच.डी. डिग्री	01 से 05	05 से अधिक 10 तक	10 से अधिक	
	• 5 से अधिक स्नातकोत्तर विभागों के कालेजों के लिए प्रदान की गई पी.एच.डी. डिग्री	01 से 10	10 से अधिक 20 तक	20 से अधिक	
	• संदर्भित जर्नलों में शिक्षकों द्वारा प्रकाशित किए गए अनुसंधान पत्रों की संख्या	01 से 05	05 से अधिक 10 तक	10 से अधिक	

अनुलग्नक–I (जारी.....)

क्र. सं.	प्रोफाईल / मानदण्ड	ब्यौरा / विकल्प			कार्यालय उपयोग के लिए
	• आरंभ की गई अनुसंधान परियोजनाएं क) बृहद ख) लघु	 01 01 से 04	 2 से 3 5 से 10	 3 से अधिक 10 से अधिक	
2.26	परामर्शदात्री सेवाएं : सभी स्रोतों से प्राप्त कुल निधियों के प्रतिशत के रूप में परामर्शदात्री सेवाओं के माध्यम से सृजित सेवाएं	01 से 02	02 से 05 तक	05 से अधिक	
2.27	पिछले वर्ष के दौरान विस्तार गतिविधियां • किए गए नवाचार / उपयोगी विस्तार कार्यक्रम	01 से 02	02 से 05 तक	05 से अधिक	
	• विस्तार गतिविधियों में रत शिक्षकों की संख्या	03 से 05	5 से 20 तक	20 से अधिक	
	• विस्तार गतिविधियों में छात्र भागीदारी की संख्या	10 से 50	50 से 100 तक	100 से अधिक	

2.28	पिछले तीन वर्षों के दौरान सहयोग गतिविधियां : ● गैर सरकारी संगठनों के साथ किए गए संयुक्त कार्यक्रमों की संख्या	01 से 05	05 से 10 तक	10 से अधिक	
	● राष्ट्रीय स्तर के अकादमिक संस्थानों के साथ सहकारी कार्यक्रमों की संख्या	01 से 05	05 से 10 तक	10 से अधिक	
	● राष्ट्रीय स्तर के अकादमिक संस्थानों के साथ की गई सहयोग गतिविधियां	01 से 05	05 से 10 तक	10 से अधिक	
2.29	ग्रंथालय संसाधन : ● प्रति छात्र पुस्तक शीर्षकों की संख्या	01 से 03	03 से 10 तक	10 से अधिक	
	● पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल संग्रहण के प्रतिशत के रूप में ग्रंथालय में जमा की गई पुस्तकों की संख्या	01 से 03	03 से 10 तक	10 से अधिक	

अनुलग्नक–I (जारी.....)

क्र. सं.	प्रोफाईल / मानदण्ड	ब्यौरा / विकल्प			कार्यालय उपयोग के लिए
2.30	आईसीटी आधारित ज्ञान अर्जन संसाधन: छात्र–कम्प्यूटर अनुपात	60 से अधिक पर 1	30 से अधिक पर 1 से लेकर 60 पर 1	30 या इससे कम पर 1	
2.31	छात्र प्रोफाईल (पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत) ● आवेदन करने वाले छात्रों में से दाखिला पाने वालों का प्रतिशत	60 से अधिक	20 से 60 तक	05 से 20	
	● छात्रों की कुल संख्या में महिला छात्रों का प्रतिशत	1 से 10	10 से 50	50 से अधिक	
	● छात्रों की कुल संख्या में अ0जा0के छात्रों छात्रों का प्रतिशत	1 से 10	10 से 15	15 से अधिक	
	● छात्रों की कुल संख्या में अ0ज0जा0के छात्रों का प्रतिशत	1 से 02	02 से 05	05 से अधिक	
	● छात्रों की कुल संख्या में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों का प्रतिशत	01 से 05	05 से 10	10 से अधिक	

2.32	छात्र प्रगति (पिछले 3 वर्षों का औसत) ● पहली बार में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत	30 से 50	50 से 75	75 से अधिक	
2.33	छात्र सहायता : ● पिछले 3 वर्षों के दौरान जिन छात्रों का कालेज में साक्षात्कार हुआ (कैम्पस इंटरव्यू) उनमें से चयन हुए छात्रों का प्रतिशत	10 से 20	20 से 50	50 से अधिक	
2.34	पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित वार्षिक बजट के उपयोग का औसत प्रतिशत	60 से 80	80 से 90	90 से अधिक	
2.35	पिछले वर्ष के दौरान अनुमोदित वार्षिक बजट के प्रतिशत के रूप में जुटाए गए वित्तीय संसाधन	05 से 10	10 से 20	20 से अधिक	
2.36	शिक्षकों का प्रतिशत जिन्हें प्रशासनिक शक्तियां तथा उत्तरदायित्व दिए गए थे	05 से 10	10 से 20	20 से अधिक	

अनुलग्नक–I (जारी.....)

क्र. सं.	प्रोफाईल / मानदण्ड	ब्यौरा / विकल्प			कार्यालय उपयोग के लिए
2.37	अन्य संस्थानों के शासी निकाय पर नामित शिक्षकों की संख्या	01 से 02	02 से 05	05 से अधिक	
2.38	पाठ्यक्रम : इस पर प्रतिप्राप्ति प्राप्त होती है	कर्मचारियों से	शिक्षकों से	छात्रों से	
	● पिछले 3 वर्षों में ज्ञान अर्जन में समस्या का सामना करने वाले छात्रों के लिए किए गए उपचारी अनुशिक्षण की संख्या	01 से 02	02 से 05	05 से अधिक	
	● पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च शिक्षार्थियों के लिए आयोजित विशिष्ट पाठ्यक्रमों की संख्या	01 से 02	02 से 05	05 से अधिक	
	● आधुनिक शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले शिक्षकों का प्रतिशत	10 से 20	20 से 50	50 से अधिक	

2.39	छात्र गतिविधियां : पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रमों में भाग लेने वाले/संलग्न छात्रों की औसत संख्या • संस्कृति तथा सम्बद्ध गतिविधियां	05 से 10	10 से 20	20 से अधिक	
	• सह–पाठ्यचर्या क्रियाकलाप	05 से 10	10 से 20	20 से अधिक	
	• एनएसएस गतिविधियों के अलावा समाज सेवा/विस्तार कार्य	10 से 50	50 से 100	100 से अधिक	
2.40	खेलकूद आयोजन निम्नवत स्तर पर पिछले तीन वर्षों के दौरान भाग लेने वाले छात्रों की संख्या • अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर	01 से 05	05 से 10	10 से अधिक	
	• राष्ट्रीय स्तर पर	01 से 10	10 से 20	20 से अधिक	
	• क्षेत्रीय स्तर पर	10 से 20	20 से 50	50 से अधिक	

अनुलग्नक–I (जारी.....)

भाग–3 अतिरिक्त आंकड़े (स्वायत्त कालेजों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा)

क्र. सं.	प्रोफाईल / मानदण्ड	ब्यौरा / विकल्प			कार्यालय उपयोग के लिए
3.1	स्वायत्त दर्जा प्रदान किए हुए कितने वर्ष हो गए	01	01 से 10	10 से अधिक	
3.2	स्तर जिस पर स्वायत्तता प्रदान की गई है	केवल स्नातक पूर्व स्तर पर	केवल स्नातकोत्तर स्तर पर	स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर पर	
3.3	पाठ्यचर्या समीक्षा / पुर्नरीक्षा	तीन वर्ष बाद कभी भी	तीन वर्षों में एक बार	वार्षिक रूप से	
3.4	नए कार्यक्रम आरंभ करने में समय विलंब	2 से अधिक वर्ष	1 से 2 वर्ष	1 या इससे कम वर्ष	
3.5	विषयों की संख्या जिनमें प्रश्न बैंक विकसित किए गए	01 से 02	02 से 05	05 से अधिक	
3.6	परीक्षा सुधारः मूल्यांकन योजना	अंक	ग्रेड तथा जीपीए	क्रेडिट आधारित जीपीए	
3.7	आखिरी सेमेस्टर या 'ऐक्जिट एक्जामिनेशन' में सतत् आंतरिक मूल्यांकन को प्रतिशत में कितना महत्व दिया गया है	10 से 20	20 से 40	40 से अधिक	
3.8	कार्यक्रमों की कुल संख्या में कार्यक्रम जिनके पास सीआईई है	15 से 20	25 से 50	50 से अधिक	
3.9	अल्पकालिक / अस्थायी योजनाएं	वार्षिक	सेमेस्टर	ट्राईमेस्टर	
3.10	प्रश्न पत्रों का प्रतिशत जिनके पैटर्न में परिवर्तन आरंभ किया गया है	5 से 10	10 से 50	50 से अधिक	

प्रमाण पत्र

(कालेज द्वारा)

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रस्ताव में उपलब्ध कराए गए आंकड़े और सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक हैं तथा इनके समर्थन में अपेक्षित दस्तावेजों को विश्वविद्यालय के माध्यम से वि0अ0आ0 को कमी भी मांगने पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह भी पुष्टि की जाती है कि यदि कालेज को 11वीं योजना के अंतर्गत योजना के लिए चयन कर लिया जाता है तो कालेज समय–समय पर उत्कृष्टता की सम्भाव्यता वाले कालेजों के संबंध में तैयार किए गए दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

स्थानः (हस्ताक्षर)

दिनांकः कालेज के प्राचार्य

कालेज की मुहर

पृष्ठांकन

(संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा)

विश्वविद्यालय यह प्रमाणित करता है कि कालेज द्वारा प्रस्ताव में दिए गए आंकड़े व सूचना विश्वविद्यालय के रिकार्ड के अनुसार ठीक है। इसलिए विश्वविद्यालय प्रस्ताव का समर्थन करता है और सीपीई दर्जा देने के लिए चयन किए जाने पर उपरोक्त कालेज की प्रगति की निगरानी करेगा और कालेज के संबंध में दिशानिर्देशों के तहत वि0अ0आ0 द्वारा तैयार किए गए अन्य संगत नियमों तथा विनियमों के तहत विश्वविद्यालय द्वारा जो भी किया जाना आवश्यक होगा किया जाएगा।

स्थान (हस्ताक्षर)

दिनांक कालेज के प्राचार्य

विश्वविद्यालय की मुहर

अनुलग्नक–II

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

कार्य योजना और बजट

(सीपीई योजना के तहत चयन हेतु अनंतिम सिफारिश के आधार पर कालेज द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा)

(सीपीई के लिए वि0अ0आ0 के ग्यारहवीं योजना दिशानिर्देश के चरण 9.6 को देखें)

1.	कालेज का नाम और पता (टेलीफोन/फैक्स नं0 और ईमेल आईडी सहित)	
2.	कालेज प्रभारी का नाम और पता (टेलीफोन/फैक्स नं0 और ईमेल आईडी सहित)	
3.	प्रस्तावित क्रियाकलाप	प्राथमिकता के क्रमानुसार प्रत्येक क्रियाकलाप के शीर्षक को सूचीबद्ध करें। (प्रत्येक मामले में 5 तक सीमित होगा, अनुलग्नक क में ब्यौरा दें (100 शब्दों में))
	क) शिक्षण (स्नातकपूर्व)	: :
	ख) शिक्षण (स्नातकोत्तर) :	: :
	ग) अनुसंधान :	: :
	घ) विस्तार :	: :
	ड.) कोई अन्य : (कृपया ब्यौरा दें)	: :

अनुलग्नक–II (जारी.....)

4.	अनुदानों का प्रस्तावित उपयोग	अनावर्ती अनुदान (रु0 लाख में) (अनुलग्नक ख 1 में ब्यौरा देते हुए वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया जाए)	आवर्ती अनुदान (लाख रु0 में) (अनुलग्नक ख 2 में ब्यौरा देते हुए वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया जाए)
	क) शिक्षण सुविधाएं (स्नातक पूर्व) :		
	ख) शिक्षण सुविधाएं (स्नातकोत्तर) :		
	ग) अनुसंधान सुविधाएं :		
	घ) विस्तार क्रियाकलाप :		
	ड.) कोई अन्य गतिविधि (कृपया ब्यौरा दें)		
	कुल : (रुपये लाख में)		

अनुलग्नक–II (जारी.....)

5.	<u>प्रत्याशित</u> निष्कर्ष / परिणाम	<u>वार्षिक</u> अनुलग्नक ग–1 में दिए गए ब्यौरे के साथ केवल शीर्षक ही सूचीबद्ध करें	<u>तीन वर्षों के अंत में</u> (अनुलग्नक ग–2 मे दिए गए ब्यौरे के साथ केवल शीर्षक ही सूचीबद्ध करें)
	क) शिक्षण / मूल्यांकन (स्नातकपूर्व)	वर्ष 1 : वर्ष 2 : वर्ष 3 :	
	ख) शिक्षण / मूल्यांकन (स्नातकोत्तर)	वर्ष 1 : वर्ष 2 : वर्ष 3 :	
	ग) अनुसंधान	वर्ष 1 : वर्ष 2 : वर्ष 3 :	
	घ) विस्तार	वर्ष 1 : वर्ष 2 : वर्ष 3 :	
	ड.) कोई अन्य : (कृपया ब्यौरा दें)	वर्ष 1 : वर्ष 2 : वर्ष 3 :	

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य योजना और बजट, मुख्य अंशधारक विशेषतया शासी निकाय तथा शिक्षक संकाय के साथ परामर्श के बाद सीपीई के वि0अ0आ0 हेतु 11वीं योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित किए गए हैं। कालेज एतद् अनुसार अनुमोदित कार्य योजना का पालन करने तथा यथा प्रस्तावित उत्कृष्टता की प्राप्ति हेतु परिकल्पित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का वचन देता है।

स्थान : कालेज के प्राचार्य के हस्ताक्षर

दिनांक :

कालेज की मुहर

अनुलग्नक–III

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट

(प्रत्येक सीपीई कालेज द्वारा वार्षिक रूप से वि0अ0आ0 को प्रस्तुत किया जाएगा)

(कृपया सीपीई के लिए वि0अ0आ0 11वीं योजना दिशानिर्देश की धारा 12 को देखें)

1.	कालेज का नाम और पता (टेलीफोन/फैक्स नं0 और ईमेल आईडी सहित)	
2.	कालेज प्रभारी का नाम और पता (टेलीफोन/फैक्स नं0 और ईमेल आईडी सहित)	
3.	रिपोर्ट की अवधि	वर्ष 200.... से 200..., 31 मार्च 200..... को समाप्त वर्ष ।
4.	वर्ष के दौरान आरंभ की गई गतिविधियां	वर्ष के दौरान की गई प्रगति (विस्तृत ब्यौरा अनुलग्नक–क में देते हुए यहां केवल मुख्य विशेषताएं ही उजागर करें)
	क) शिक्षण (स्नातकपूर्व)	• • • • • •
	ख) शिक्षण (स्नातकोत्तर) :	• • • • •

		•
	ग) अनुसंधान :	• • • • •
	घ) विस्तार :	• • • • •
	ड.) कोई अन्य : (कृपया ब्यौरा दें)	• • • • •

अनुलग्नक–III (जारी.....)

5.	वर्ष के दौरान अनुदान का उपयोग	अनावर्ती अनुदान (रु0 लाख में) (अनुलग्नक ख–1 में ब्यौरा देते हुए पृथक शीर्ष के तहत दिया जाए) आवंटित उपयोग	आवर्ती अनुदान (लाख रु0 में) (अनुलग्नक ख 2 में ब्यौरा देते हुए पृथक शीर्ष के तहत दिया जाए) आवंटित उपयोग
	क) शिक्षण सुविधाएं (स्नातक पूर्व) :		
	ख) शिक्षण सुविधाएं (स्नातकोत्तर) :		
	ग) अनुसंधान सुविधाएं :		
	घ) विस्तार क्रियाकलाप :		
	ड.) कोई अन्य गतिविधि (कृपया ब्यौरा दें)		

अनुलग्नक–III (जारी.....)

5.	विशिष्ट निष्कर्ष / परिणाम	वर्ष के दौरान (अनुलग्नक ग–1 में ब्यौरे देते हुए यहां केवल विशेषताएं ही दी जाएं)	संचयी (पिछले वर्ष सहित) (अनुलग्नक ग–2 में ब्यौरा देते हुए यहां केवल विशेषताएं ही दी जाएं)
	क) शिक्षण / मूल्यांकन (स्नातकपूर्व)		
	ख) शिक्षण / मूल्यांकन (स्नातकोत्तर)		
	ग) अनुसंधान		
	घ) विस्तार		
	ड.) कोई अन्य : (कृपया ब्यौरा दें)		
7.		**कार्यान्वयन में यदि किन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ा** (अनुलग्नक घ–1 में ब्यौरा देते हुए केवल बड़ी समस्याओं का यहां उल्लेख किया जाए)	**वि0अ0आ0 से कोई सहायता अपेक्षित है, यदि कोई हो तो,** (अनुलग्नक घ–2 में ब्यौरा देते हुए केवल बृहद अपेक्षाओं का ही यहां उल्लेख किया जाए)

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े/सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक है तथा कभी भी वि0अ0आ0 द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को मांगे जाने पर दस्तावेज को उपलब्ध कराया जाएगा।

स्थान :

दिनांक : कालेज के प्राचार्य के हस्ताक्षर

कालेज की मुहर

अनुलग्नक–IV

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उपयोग प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा .... के लिए अनुमोदित .....रुपये (रुपये .....) के कुल अनुदान को कालेज द्वारा संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसे दिनांक ..... की पत्र सं. ..... में निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार दिया गया है और निबंधन और शर्तों को कालेज द्वारा पूरा किया गया है तथा अनुदान को उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए इसे अनुमोदित किया गया था।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वि0अ0आ0 द्वारा दिए गए अनुदान द्वारा पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से सृजित/प्राप्त की गई स्थायी तथा अर्ध स्थायी परिसम्पत्तियों की माल सूची, जैसा कि उपयुक्त संलग्न विवरण में दर्शाया गया है, इसका विहित प्ररूप में रखरखाव किया जा रहा है और इन परिसम्पत्तियों का निपटान नहीं कियाहै, न ही इन्हें गिरवी रखा गया है या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इनका उपयोग किया गया है।

यदि बाद में जांच या लेखापरीक्षा आपत्तियों के परिणामस्वरूप कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो कालेज, आपत्तिगत राशि की प्रतिपूर्ति के लिए बाध्य होगा।

प्राचार्य के हस्ताक्षर और मुहर　　लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर

नोट : उपयोग प्रमाण पत्र के साथ लेखाओं का लेखापरीक्षित प्रमाण पत्र भी संलग्न होना चाहिए जिसमें विभिन्न मदों पर किए गए व्यय को दर्शाया गया हो।